

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
कनरा नं० 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047 फैक्स नं० 0141-2227281
ई-मेल: ds.tad@rajasthan.gov.in, Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.6/सीटीएडी/लेखा/2018-19

जयपुर, दिनांक: 17-12-2018
स्वीकृति सं० 35/2018-19

पुनर्विनियोजन स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नांकित विवरण अनुसार पुनर्विनियोजन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-


(1) एकलव्य मॉडल विधालयों(EMRS) हेतु (राशि रु. लाखों में)

लेखामद जिससे पुनर्विनियोजन करना है।		लेखामद जिसमें पुनर्विनियोजन करना है।	
लेखा मद (केन्द्रीय सहायता)	समर्पित राशि	लेखा मद (केन्द्रीय सहायता)	पुनर्विनियोजन राशि
2225-02-796-18-01-61- खाद्य सामग्री	75.00	2225-02-796-18-01-05- कार्यालय व्यय	40.00
		2225-02-796-18-01-41- सविदा व्यय	20.00
		2225-02-796-18-01-58- कपडे एवं बिस्तर	15.00
कुल योग	75.00	कुल योग	75.00

(1) सहरिया क्षेत्र के आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विधालयों हेतु (राशि रु. लाखों में)

लेखामद जिससे पुनर्विनियोजन करना है।		लेखामद जिसमें पुनर्विनियोजन करना है।	
लेखा मद (केन्द्रीय सहायता)	समर्पित राशि	लेखा मद (केन्द्रीय सहायता)	पुनर्विनियोजन राशि
2202-01-796-08-02-01- सवेतन	05.00	2202-02-796-17-03-01- सवेतन	80.00
		2202-02-796-17-04-13- छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका	10.00
2202-01-796-08-02-61- खाद्य सामग्री	100.00	2225-02-796-17-04-05- कार्यालय व्यय	05.00
		2225-02-796-17-04-58- कपडे एवं विस्तर	10.00
कुल योग	105.00	कुल योग	105.00

यह स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनके अन्तर्विभागीय संख्या 161801248 दिनांक 16.11.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक-मंत्री,टीएडी/निजी सचिव-अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट/लेखे)।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-11)।
5. निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग।
6. अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना/माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
9. एसीपी कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
10. प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि बीएफसी अनुसार स्वीकृति का संधारण कराएँ।


संयुक्त शासन सचिव

स्वीकृति सं० 35/2018-19
दिनांक- 17-12-2018